रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2014/वैशाख 11, 1936
No. 981] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2014/VAISAKHA 11, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2014

का.आ. 1188(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 34 के साथ पठित धारा 2 के खंड (क) के उप-खंड (i) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, उन संघ शासित प्रदेशों के लिए, जिनमें विधायिका नहीं है एतदद्वारा निम्नलिखित संगठन के साथ राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करती है, यथा:—

1. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रभारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष
2. सचिव, प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी – सदस्य, पदेन
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् अथवा राज्य शिक्षा संस्थान – सदस्य, पदेन
4. आयुक्त अथवा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा – सदस्य, पदेन
5. अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण आयोग/शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकारी – सदस्य, पदेन
6. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान – सदस्य सचिव – सदस्य, पदेन

2. जिन संघ शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है उनके प्रशासक संबंधित संघ शासित प्रदेश के लिए राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित रूप से नाम से मनोनीत करेंगे:

(1) इस परिषद् के सदस्य प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे:-

(क) कम से कम तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों में से होंगे;

(ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होना चाहिए जिसके पास विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का विशेषीकृत ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव हो;

(ग) एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होना चाहिए जिसके पास प्राथमिक पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में विशेषीकृत ज्ञान हो;

(घ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होना चाहिए जिसके पास शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषीकृत ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो;

(ङ) सभी सदस्यों का एक तिहाई महिलाएं होंगी।

(2) इस परिषद् के मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल की अवधि उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की होगी।

(3) राज्य सरकार परिषद् का कार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में संघ शासित प्रदेश (बिना विधायिका वाले) के प्रशासक को प्रभावी पद्धति से सलाह देना होगा।

(4) राज्य सलाहकार परिषद् अन्य संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों के प्रतिनिधियों को अपेक्षानुसार आमंत्रित कर सकती है।

(5) संबंधित संघ शासित प्रदेश (बिना राज्य विधायिका वाले) का स्कूल शिक्षा विभाग राज्य सलाहकार परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

[फा.सं.8-24/2011-ईई.4]

वृन्दा सरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2014

S.O. 1188(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of section 2 read with section 34 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby constitutes the State Advisory Council for the Union territories, having no legislature, consisting of the following composition, namely:—

1. Minister of State, in-charge of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India – Chairperson
2. Secretary in charge of Elementary Education – Member, ex-officio
3. Director, State Council of Educational Research and Training or State Institute of Education – Member, ex-officio
4. Commissioner or Director of Elementary Education – Member, ex-officio
5. Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights/Right to Education Protection Authority – Member, ex-officio
6. State Project Director, Sarva Shiksha Abhiyan - Member Secretary – Member, ex-officio

2. The Administrator of the Union territory, having no legislature, shall nominate by name the members of the State Advisory Council for the respective Union territory as under:

(1) Members of the Council shall be from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of Elementary Education and Child Development, as under:—

(a) at least three members should be from amongst persons belonging to the Scheduled caste, the Scheduled tribe and Minorities;

(b) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member should be from amongst persons having specialized knowledge in the field of pre-primary education;

(d) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;

(e) one third of all members shall be women.

(2) The period of tenure of the nominated members of the Council shall be two years from the date of their appointment.

(3) The functions of the State Advisory Council shall be to advise the Administrator of Union Territory (without State Legislature) on implementation of the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in an effective manner.

(4) The State Advisory Council may invite representatives of other related Ministries or Departments as required.

(5) The School Education Department of the respective Union territory (without State Legislature) shall serve as the Secretariat to the State Advisory Council.

[F.No. 8-24/2011-EE.4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.